	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	

सी.एस.एफ. / एसओजी. / 2–10 / कृषि / 2020–21 / दिनॉक :04.04.2020.

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0) द्वारा फार्म में रबी 2019–20 सीजन में बोयी गयी चना, गेहूॅ, जौ, जई आदि फसलों की कटाई के बाद खाली क्षेत्र में भेड़ें / पशु चराने के लिये इच्छुक व्यक्तियों / पार्टियों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक **25.04.2020**, को सायं 1.00 बजे तक ली जायेगी और उसी दिन सायं 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने से पूर्व खुली बोली का भी आयोजन किया जायेगा। निविदा एवं खुली बोली में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रू0 50000 / – (रू0 पचास हजार मात्र) प्रति यूनिट व फार्म शुल्क रू.118 / – का D.D./Online के माध्यम से राशि फार्म खाते में दिनॉक **25.04.2020** तक दोपहर 1.00 बजे तक जमा करनी होगी । डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम से देय हो होगा । निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

फार्म क्षेत्र में पशु चराई के परमिट जारी करने की शर्ते

1– पूरे फार्म को 8 यूनिटों में बांटा गया है। **ब्लाक एक** को 3, 3 व 4 चकों की 3 यूनिट, खण्ड़ दो को 3, 2 व 2 चकों की 3 यूनिट व ब्लाक तीन के 2–2 चकों की 2 यूनिट होगी। प्रत्येक यूनिट के लिए रु 50000/– मात्र धरोहर राशि के रुप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के पक्ष में देय हो देना होगा जो कि चराई सन्तोषजनक पूरी होने पर बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। पहले खुली बोली कराई जायेगी उसके बाद टेण्डर खोले जायेगे।

2– चराई का समय अधिक से अधिक 45 दिन होगा । चने की सिल्ला चुगाई व तूडी बनाने के लिए दिये गये क्षेत्र में तूडी बनाने के बाद ही चराई कर सकेगें।

3– चराई के लिए कम से कम एक यूनिट एक पार्टी को दी जायेगी। सफल निविदादाता की 30 प्रतिशत रकम निविदा के अगले दिन तथा 70 प्रतिशत रकम निविदा के 10 दिन में जमा करानी होगी। यदि 30 प्रतिशत रकम अगले दिन जमा नहीं करायी गयी तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

4– यदि फार्म सम्पत्ति का कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

5– पशु चराने के लिए आदमी फार्म क्षेत्र में किसी प्रकार का हथियार, बल्लम, भाला, बन्दूक, पिस्तौल आदि नहीं लायेगा। चराई का ढेका होने के बाद अवैधे चराई को रोकने की जिम्मेदारी चराई ढेकेदार की होगी । इसके लिए फार्म जिम्मेदार नहीं होगा

6– पर्ची लेने वाले को पूरा नाम व पता देना होगा।

7– जिस परिक्षेत्र में बिजाई आदि करने की जरूरत होगी, उसके बदले और क्षेत्र नहीं दिया जायेगा और न ही रकम वापिस की जायेगी एवं बिजाई की गई फसलों को किसी प्रकार का नुकसान होने की दशा में परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

8– चराई के लिए प्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा एक परमिट जारी किया जायेगा जो कि रबी फसलों की कटाई होने के उपरान्त ही जारी होगा।

9– फार्म के किसी भी अधिकारी, सुरक्षा चौकीदार व चक प्रभारी के मांगने पर चराई करने वाले को परमिट दिखाना होगा। बिना परमिट के पशु चराते हुए पाये जाने पर चराई को अवैध माना जायेगा।

10– गलत गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर चराई बिना कारण बताये भी फार्म निदेशक द्वारा बन्द की जा सकती है।

11– यदि खाली क्षेत्र में घग्घर नदी का पानी आ गया हो तो उसके एवज में दूसरा क्षेत्र नहीं दिया जायेगा।

12– पानी पिलाने के वास्ते भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जायेगे सिर्फ अपने क्षेत्र में ही रहेगे। चराई के समय किसी पशु या भेड आदि की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।

13– परमिट लेने वाले को एक नोन ज्यूडिशियल रूपये 500–00 (रूपये पॉच सौ) के स्टाम्प दस्तावेज पर एक अनुबंध करना होगा कि किसी भी प्रकार का नुकसान फार्म की फसलों को नहीं करेगा और जिस क्षेत्र का परमिट लिया गया है उसी क्षेत्र में अपने पशु चराएगा और फार्म की शर्तो का पूर्ण पालन करेगा।

14– यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।

15– सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।

16– आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा।

श्रीमान निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)

विषय :–रबी 2019–20 की फसलों की कटाई के बाद खाली क्षेत्र में भेड/पशु चराने के लिए टेण्डर।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं निम्न दरों पर फार्म में चराई कार्य लेने को तैयार हूॅ ।

खण्ड नं0	यूनिट नं0	चक संख्या	चराई का कुल क्षेत्र **एकड़ में**	पूरी यूनिट की रकम जोकि फार्म में जमा करानी है । रूपयों में
1	1	35 STG , 38 STG व 39 STG	1675.25	
1	2	37 STG , BRP–1 व BRP 3	1855.00	
1	3	40 STG,41 STG, 42 STG व 44 STG	2307.50	
2	1	31A PBN , 31B PBN व 33 PBN	1659.75	
2	2	RPM– 1 व RPM-2	1422.00	
2	3	RPM– 3 व RPM-4	1104.00	
3	1	3 SGM व 34 PBN	973.00	
3	2	4 SGM व 5 SGM	1267.00	

हस्ताक्षर ————————————————

नाम ————————————————

पिता का नाम ————————————————

ग्राम व डाकघर ————————————————

तहसील ————————————————

जिला ————————————————

मोबाईल नं0 ————————————————